5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. / 2015 निगरानी R-409-I-15

दुर्जन पुत्र श्री हरजुवा अहिरवार
निवासीग्राम गुरैया तहसील व जिला
छतरपुर (म.प्र.) .... आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन .... अनावेदक

श्री मुकेश भार्गव द्वारा आज दि. 24-2-15 को प्रस्तुत
for 24-2-15
रीडर ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मुकेश भार्गव
24-2-15 एडवोकेट
ग्वालियर

न्यायालय अपर कलेक्टर, छतरपुर जिला छतरपुर द्वारा प्र.कं. 06/अ–21/13–14 में पारित अदोश दिनांक 10.10.13 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण ।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि :–

संक्षिप्त तथ्य –

यह कि, आवेदक के भूमिस्वामी स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि ख.नं. 196/5, 196/6/1, 196/7 रकवा क्रमंशः 0.607, 0.607, 0.809 हे. कुल किता 3 रकवा 2.023 हे. भूमि ग्राम गुरैया तहसील व जिला छतरपुर में स्थिति है। उक्त भूमि विकय करने बावत आवेदक ने संहिता की धारा 165 (7) (ख) के अंतर्गत एक आवेदन कलेक्टर छतरपुर के समक्ष पेश किया जिस पर विचारण उपरांत अपर कलेक्टर छतरपुर ने दिनांक 10.10.13 को निरस्त कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध यह पुनरीक्षण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है '

शाखा प्रभारी (रा.मं.) कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

(34)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 409–एक / 15 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11–03–15	आवेदक अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित । उन्होंने उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रकरण भूलवश इस न्यायालय में प्रस्तुत हो गया है । सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किये जाने का अनुरोध किया । निवेदन स्वीकार । आवेदक के निवेदन पर प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किया जाता है । **प्रशासकीय सदस्य**	